



पश्चिम मध्य रेल

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ

आरबी III/422/1-2, नेहरू रेलवे कॉलोनी, हाऊबाग, जबलपुर (मध्य प्रदेश) - 482 001. Website : www.wcr.indianrailways.gov.in

रोजगार सूचना सं. 02/2013

पूर्ववर्ती ग्रुप ‘डी’ भर्ती

अधिसूचना जारी करने की तिथि 14.12.2013, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि: 15.1.2014, 18.00 बजे तक

- 1.1 पश्चिम मध्य रेल में पी.बी.-I ₹ 5200-20200 ग्रेड पे 1800 (पूर्ववर्ती समूह ‘घ’)** कोटियों में रिक्त पदों को भरने के लिये भारतीय नागरिकों तथा ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योग्य घोषित किया गया है, अच्छी किस्म के सादे कागज पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
- 1.2** आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में अंतिम तिथि 15.01.2014 को 18.00 बजे तक साधारण डाक से सहायक कार्मिक अधिकारी (भर्ती), रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेल, आर.बी.— III/422/1-2, नेहरू रेलवे कॉलोनी, हाऊबाग, जबलपुर (मध्य प्रदेश) — 482 001 को संबोधित कर भेजें जा सकते है या रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, आर.बी.— III/422/1-2, नेहरू रेलवे कॉलोनी, हाऊबाग, जबलपुर में इस उद्देश्य के लिए बने आवेदन बॉक्स में (अवकाश के दिन अर्थात शनिवार, रविवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) सभी कार्यालय दिवस में डाले जा सकते हैं।
- 1.3** असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लाहोल स्पिति, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का पांगी सब डिवीजन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के निवासियों के लिए अंतिम तिथि 30.01.2014 समय 18.00 बजे तक होगी।
- 1.4** अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 1.5** शारीरिक दक्षता जांच/लिखित परीक्षा आदि की तिथि और समय प्रशासनिक सुविधानुसार निर्धारित किया जाएगा। किसी भी स्थिति में परीक्षा के समय, तिथि और परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 1.6** कृपया नोट करें कि लिखित परीक्षा सभी रेलों द्वारा समान तिथियों में एक साथ आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जावेगा। अभ्यर्थी किसी अधिसूचना के अंतर्गत आवेदन भेजते समय यह ध्यान रखें।

2. पद एवं रिक्तियाँ का नाम तथा समुदायवार विवरण जिनके लिए पमरे में भर्ती की जा रही है:-

क्र. सं.	पदनाम	पे बैंड ग्रेड पे	रिक्तियां						शारीरिक विकलांग				चिकि. मापदंड	परीक्षा के स्तर
			अना.	अजा	अजजा	अपिव	भू.सै.	कुल	अ.वि.	श्र.वि.	दृ.वि.	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ट्रैक मैन, हेल्पर, खलासी, पार्सल पोर्टर, सफाईवाला, सहायक पाइन्टसमैन इत्यादि	पे बैंड 5200-20200 ग्रेड पे 1800/-	1823	544	271	976	903	4517	45	45	45	135	A-II एवं नीचे	1. लिखित परीक्षा में उत्तीर्णता 2. शारीरिक दक्षता परीक्षा 3. दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा परिक्षण

नोट- शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को रेलवे मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए ऐसे अभ्यर्थियों हेतु उपयुक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ऊपर में दर्शाए गए शारीरिक विकलांग कोटे के आरक्षित पदों की स्थिति पूर्ण/सर्वसमावेशी नहीं है। **(क)** ऊपर दर्शायी गयी रिक्तियाँ अनंतिम है और भर्ती के किसी भी चरण में कोटिवार/समुदायवार इसमें परिवर्तन हो सकता है। **(ख)** शारीरिक रूप से विकलांग कोटि की ऊपर दर्शाई गयी रिक्तियाँ अलग से नहीं हैं बल्कि उन्हें रिक्तियों की कुल संख्या में शामिल किया गया है।

ग) भूतपूर्व सैनिक कोटा के अंतर्गत रिक्तियां आरक्षित हैं, जो केवल भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा भरे जायेंगे।

संक्षिप्तियाँ: (1) अ.जा. – अनुसूचित जाति **(2)** अ.ज.जा. – अनुसूचित जन जाति **(3)** अ.पि.व. – अन्य पिछड़ा वर्ग **(4)** अना. – अनारक्षित **(5)** भू.सै. – भूतपूर्व सैनिक **(6)** रे.म.प्र. – रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ **(7)** प.म.रे. – पश्चिम मध्य रेल **(8)** आ.प. – आवेदन पत्र **(9)** पीईटी – शारीरिक दक्षता परीक्षा **(10)** अ.वि. – अस्थि विकलांग **(11)** श्र.वि. – श्रवण विकलांग **(12)** दृ.वि. – दृष्टि विकलांग **(13)** एस.आर.ई. – सेवारत रेल कर्मचारी।

3. शैक्षणिक अर्हता :- न्यूनतम कक्षा 10वीं उत्तीर्ण या आई.टी.आई. या समकक्ष। जिन कर्मचारियों ने 10 वीं कक्षा या आई.टी. आई. या समकक्ष की अन्तिम परीक्षा दी है परन्तु परीक्षा परिणाम अभी नहीं आया है, वे पात्र नहीं होंगे। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यताप्राप्त शैक्षणिक/बोर्ड से प्राप्त की हों अन्यथा उम्मीदवारी को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। उच्चतर शिक्षा प्राप्त उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।

4. छूट के प्रावधानों सहित आयु सीमा:

4.1 उक्त सभी रिक्तियों के लिए आयु सीमा 18 से 33 वर्ष होगी तथा दिनांक 01.01.2014 को आधार मानकर आयु की गणना की जाएगी।

4.2 ऊपरी आयु सीमा में निम्नानुसार छूट होगी, बशर्ते कि अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हो:-

(i) उपयुक्त प्राधिकारी से जारी वैध जाति-प्रमाणपत्र रखने वाले अजा/अजजा उम्मीदवारों हेतु पाँच वर्ष और अपिव उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष। **(ii)** केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा विधिवत् गठित चिकित्सा बोर्ड के द्वारा जारी निशक्त्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शारीरिक विकलांग कोटा के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में दस वर्षों की छूट (अ.जा./अ.ज.जा. के मामले में पन्द्रह वर्ष व अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में तेरह वर्ष) दी जाएगी। **(iii)** रेलवे में कार्यरत केजुअल श्रमिक या एवजी, जिनकी न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा हो चुकी है, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा सामान्य, अपिव, अजा/अजजा के मामले में क्रमशः – 40, 43 और 45 वर्ष होगी। **(iv)** रेलवे संगठन के अर्ध-प्रशासनिक कार्यालयों जैसे कि रेलवे कैंटीन, रेलवे संस्थानों तथा रेलवे सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को जिनकी 3 वर्ष की सेवा हो चुकी है, उनके द्वारा की गई सेवा अवधि के बराबर आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी। जो कि अधिकतम 5 वर्ष होगी। **(v)** विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को जो न्यायिक तौर पर अपने पतियों से अलग हुई हैं तथा पुनर्विवाह नहीं किया है, आयु सीमा में सामान्य, अपिव और अजा/अजजा उम्मीदवार के मामले में क्रमशः 35, 38 और 40 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। **(vi)** आयु में पाँच वर्ष की छूट उन उम्मीदवारों को दी जाएगी जो पहली जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 की अवधि के दौरान जम्मू एवं काश्मीर राज्य की कश्मीर डिवीजन के साधारणतः अधिवासी रहे हैं लेकिन उन्हें जम्मू एवं कश्मीर सरकार के उपयुक्त अधिकारी से जारी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **(vii)** भूतपूर्व सैनिकों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में छूट उनके द्वारा रक्षा सेनाओं में व्यतीत सेवा में 3 वर्ष जोड़कर दी जाएगी बशर्ते उन्होंने न्यूनतम 6 माह की सत्यापित सेवा की हो। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो पहले ही उन्हें प्राप्त अन्य लाभों का फायदा उठाकर सिविल सेवा में ज्वाइन कर चुके हैं, भर्ती हेतु भूतपूर्व सैनिक के रूप में आगे लाभ का दावा नहीं कर सकते तथा ऐसे व्यक्तियों को सिविल कर्मचारी माना जाएगा तथा तदनुरूप वे सिविल कर्मचारियों को मिलने वाले केवल आयु में छूट आदि जैसे लाभ ही प्राप्त कर सकेंगे। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के तहत भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र/पुत्री/आश्रित (वार्ड) आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। **(viii)** अनारक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले अजा/अजजा/अपिव उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट नहीं दी जाएगी। उन्हें अनारक्षित उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी।

4.3 आयु का प्रमाण: (क) उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या (ख) मान्यताप्राप्त बोर्ड से जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या समकक्ष (ग) विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र जिस पर विद्यालय निरीक्षक/जिला शिक्षा अधिकारी आदि के द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए गए हों।

5. परीक्षा शुल्क:-

5.1 अजा/अजजा/भूतपूर्व सैनिकों/शारीरिक रूप से विकलांग/महिला/अल्पसंख्यक/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जिसकी वार्षिक आय ₹ 50,000/- से कम हो, के लिये परीक्षा शुल्क नहीं लेगेगा।

5.2 अनारक्षित और अपिव उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क ₹ 100/- (केवल सौ रुपये) है।

5.3 परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय है (वापसी न करने योग्य है)। परीक्षा शुल्क का भुगतान जबलपुर में देय **वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर** के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित डिमान्ड ड्राफ्ट या डाकघर से जारी रेखांकित भारतीय पोस्टल ऑर्डर (आई.पी.ओ.) के रूप में किया जाना चाहिए। डिमान्ड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल ऑर्डर आई.पी.ओ. 14.12.2013 के पूर्व का नहीं होना चाहिये।

5.4 उम्मीदवार बैंक ड्राफ्ट के पीछे/भारतीय पोस्टल आर्डर में सामने की ओर दिए स्थान पर रोजगार सूचना संख्या, “पूर्ववर्ती ग्रुप—डी” पे बैंड—I ₹ 5200-20200 ग्रेड पे 1800/- तथा डाक का पता लिखें।

5.5 बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में परीक्षा शुल्क का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5.6 बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से परीक्षा शुल्क का ब्यौरा आवेदन प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर भी दिया जाये।

5.7 जहाँ लागू हो वहाँ परीक्षा शुल्क के रूप में निर्धारित राशि के बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर के बिना प्रेषित आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा।

5.8 अल्पसंख्यक का अर्थ है – मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध और पारसी। परीक्षा शुल्क में छूट हेतु अल्पसंख्यक उम्मीदवार आवेदन पत्र के साथ अनुलग्नक—III में स्व-घोषणा प्रस्तुत करें। दस्तावेजों के सत्यापन के समय परीक्षा शुल्क में छूट चाहने वाले उम्मीदवार गैर न्यायिक स्टॅम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा पत्र प्रस्तुत करें कि वह उक्त अल्पसंख्यक समुदाय से है। यदि सत्यापन के दौरान उक्त शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तो उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

5.9 आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणी का अर्थ है, वे उम्मीदवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 50,000/- से कम है। ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ जारीकर्ता प्राधिकारी के पत्र शीर्ष के पर अनुलग्नक—IV में निर्धारित प्रपत्र में आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. आवेदन कैसे करें:-

6.1 आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थियों को इस रोजगार सूचना में उल्लेखित दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लेना चाहिए।

6.2 आवेदन पत्र उच्च क्वालिटी के ए 4 आकार (210 मि.मी x 297 मि.मी) के सफ़ेद कागज पर केवल एक तरफ भरकर प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

6.3 उम्मीदवारों को इस रोजगार सूचना में दिए गए निर्धारित प्रोफार्मा का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोफार्मा में किसी तरह के बदलाव की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

6.4 उम्मीदवारों को अपनी खुद की लिखावट में नीले/काले बाल प्वाइंट पेन से अपेक्षित सूचना भरनी चाहिए। लिखावट पठनीय एवं बड़े अक्षरों में होनी चाहिए।

6.5 आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में होने चाहिए तथा अन्य किसी भाषा में नहीं होने चाहिए। जहां आवश्यक हो, सही कोड लिखें। केवल अंतर्राष्ट्रीय अंकों (जैसे— 1, 2, 3 आदि) का प्रयोग करें। आवेदन पत्र पर तिथि का उल्लेख हो तथा उस पर हस्ताक्षर किए जाएं। ऐसे आवेदन पत्रों को प्रथम दृष्ट्या निरस्त कर दिया जाएगा जो हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में भरे होंगें तथा आवेदक के जगह किसी अन्य व्यक्ति ने आवेदन पत्र भरा हो या हस्ताक्षर किया हो, भले ही इसकी जानकारी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में पता चले।

6.6 जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेजें उसके ऊपर “पी. बी.- I ₹ 5200-20200, ग्रेड पे 1800 (पूर्व ग्रुप—डी पद) में भर्ती हेतु आवेदन— पश्चिम मध्य रेल” के साथ ही समुदाय (अनु.जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य) अवश्य लिखा होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक के अभ्यर्थी **“भूतपूर्व सैनिक”** तथा शारीरिक रूप से अशक्त अभ्यर्थी **“शारीरिक रूप से अशक्त”** लिफाफे के दाहिने तरफ ऊपर बड़े अक्षरों में अवश्य लिखें। एक लिफाफे में केवल एक आवेदन पत्र होना चाहिए। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने पर सभी आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।

6.7 उम्मीदवारों को विधिवत् भरे हुए आवेदन पत्र अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करते हुए साधारण डाक से प्रेषित करें ताकि ये हर हाल में अंतिम तिथि तक रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/पश्चिम मध्य रेल, कार्यालय में पहुंच जाएं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कारण चाहे जो भी हो, विचार नहीं किया जाएगा। स्पीड पोस्ट/कुरियर/पंजीकृत लिफाफों की पावती नहीं दी जाएगी एवं इन्हें साधारण डाक द्वारा प्रेषित माना जाएगा।

6.8 उम्मीदवारों द्वारा अपना नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरणी की स्पेलिंग सही तरीके से ठीक वैसी ही लिखी जाये जैसे कि उनके मूल प्रमाण पत्र में लिखी गई है।

6.9 नीचे वर्णित पैरा (घोषणा) उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र में दिए गए स्थान में अपने हस्तलेख में लिखा जाना चाहिए न कि बड़े अक्षरों में:-

“मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त आवेदन में दिये गये सभी तथ्य व साक्ष्य मेरी जानकारी व विश्वास में सत्य, पूर्ण एवं सही है। मैं इस बात से अवगत हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी चरण में गलत/असत्य पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी पूर्ण तौर से निरस्त कर दी जाएगी और मेरे ऊपर अपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। अधिसूचना में दिये गये अनुदेशों का मैं अनुपालन करूंगा/करूंगी”।

6.10 आवेदक के हस्ताक्षर विशिष्ट प्रकार के होने चाहिए ताकि आसानी से कोई उनकी नकल न कर सकें, बड़े अक्षरों या खुले अक्षरों या संक्षिप्त रूप में या स्थान देकर लिखे गए अक्षरों में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं किये जाएंगें तथा इस प्रकार के हस्ताक्षरों से युक्त आवेदन पत्रों को पूर्णरुपेण निरस्त कर दिया जाएगा।

6.11 आवेदन पत्र, उत्तर पुरितका, प्रश्न पत्र, प्रवेश पत्र एवं अन्य जगहों पर एक समान हस्ताक्षर करने चाहिये। अलग अलग प्रकार के हस्ताक्षर होने पर उम्मीदवारी समाप्त की जा सकती है।

6.12 आवेदन पर अंगूठे के निशान सुस्पष्ट और पूर्ण होना चाहिये (विशेष कर मध्य भाग) सभी रेखायें स्पष्ट दिखनी चाहिये।

6.13 अभ्यर्थी को अपने दो स्पष्ट दिखने वाले पहचान चिन्ह जैसे तिल या निशान का उल्लेख करना चाहिये। सामान्यत: ये वे ही निशान होने चाहिये जो किसी सरकारी दस्तावेज जैसे स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र आदि में हो।

6.14 अभ्यर्थी का फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं पते को मशीन द्वारा स्कैन किया जायेगा। मशीन सिर्फ अच्छे गुणवत्ता वाले फोटो, जिसके पृष्ठ भाग हल्के रंग का हो और 1 माह से अधिक पुराना न हो, को ही पहचानता है।

6.15 अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन—पत्र, पोस्टल आर्डर एवं डिमांड ड्राफ्ट की एक फोटो कॉपी अपने पास रखें ताकि डाक में किसी गड़बड़ी होने पर लिखित परीक्षा/पीईटी के लिए बुलावा पत्र न मिलने की दशा में डुप्लीकेट बुलावा पत्र के लिए आवश्यकता के समय दिखाया जा सके।

6.16 आवेदन पत्र में अधिलेखन (ओवरराइटिंग) करने, कांट—छांट करने एवं मिटाये जाने पर तथा अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

6.17 अभ्यर्थियों को चाहिए कि कक्षा दस के प्रमाणपत्र में दिए अनुसार अपना नाम (कॉलम सं. 1 में) व पिता/पति का नाम (कॉलम सं. 2 में) बड़े अक्षरों में भरें। प्रत्येक अक्षर को निर्धारित प्रोफार्मा में निम्नवत दिए गए बॉक्स के अन्दर भरा जाना चाहिए व नाम के दोनों भागों के बीच एक बॉक्स को खाली छोड़ा जाना आवश्यक है।

म	नो	ज	कु	मा	र				
---	----	---	----	----	---	--	--	--	--

नोट- अभ्यर्थी अपने नाम/पिता के नाम/पति के नाम के पूर्व श्री/श्रीमती/कुमार/स्वर्गीय न लगायें।

6.18 कॉलम 3 में निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम लिखें।

6.19 अभ्यर्थी कॉलम 4 में पत्राचार का पता लिखें। पत्राचार का पता बड़े अक्षरों में साफ—साफ भरा जाना चाहिए। पता पठनीय, पूर्ण एवं पिन कोड सहित होना चाहिये। इस कालम का आकार 8 सेंमी **X**4 सेंमी का है। इसे बदला न जाये अन्यथा, स्कैनिंग के दौरान पता अपठनीय हो जायेगा जिससे परिवहन के दौरान पत्राचार गलत जगह पहुंच सकता है।

6.20 कृपया कॉलम 5 के उपयुक्त बाक्स में (पुरुष/स्त्री) निर्दिष्ट करें। अभ्यर्थी कॉलम 6 में अपनी राष्ट्रीयता लिखें।

6.21 कॉलम 7 में अभ्यर्थी अपना धर्म उचित बॉक्स में निम्न रूप से दिए गए सही कोड लिख कर इंगित करें:

धर्म	हिन्दू	मुस्लिम	सिख	ईसाई	बौध्द	जैन	पारसी	अन्य
कोड	01	02	03	04	05	06	07	08

6.22 कॉलम संख्या 8 में अकेला या विवाहित की स्थिति के अनुसार निर्दिष्ट करें।

6.23 कॉलम 9 में उम्मीदवार अंकों में जन्म तिथि लिखें तथा दिनांक, माह और वर्ष का प्रत्येक अंक एक—एक बॉक्स में लिखें। यदि इन अंकों में से कोई एक ही अंक है तो उसे दोहरा बनाने के लिए उसके आगे शून्य लगा दें। उदाहरण के लिए — यदि उम्मीदवार 5 सितम्बर 1985 को पैदा हुआ तो वह दिनांक में 05, माह में 09 तथा वर्ष में 1985 लिखेगा।

6.24 कॉलम 10 में शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी को अपनी विकलांगता के प्रकार ओएच/एचएच/वीएच पर निशान लगायें।

6.25 अभ्यर्थी कॉलम 11 में अपना समुदाय उचित बाक्स में लिखें तथा यदि लागू हो तो वैध जाति—प्रमाणपत्र की स्व—साक्ष्यांकित प्रति संलग्न करें।

6.26 उक्त पैरा 4 में वर्णित किन्हीं कोटियों में आयु में छूट हेतु कॉलम संख्या 12 में स्पष्ट रूप से हां अथवा नहीं लिखें। यदि हां हो तो नीचे दिए उचित कोड को कॉलम संख्या 13 में भरा जाये तथा संबंधित प्रमाण—पत्र की अभिप्रमाणित/स्व—अभिप्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न करें:

	कोटी	अना	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.वि.	दृ.वि.	श्र.वि.	भू.पू.सै.	कानूनी रूप से अलग महिला/विधवा	कश्मीरी मूल निवासी	एस. आर. ई.	अर्ध प्रशा. कर्मचारी
कोड	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	

6.27 यदि उम्मीदवार किसी सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र/उपक्रम या रेलवे में कार्यरत है तो वह हां (√) अथवा नहीं (X) कॉलम 14 में लिखेगा।

6.28 कॉलम 15 में पूर्ण की गई शिक्षा (केवल एक शिक्षा) और संबद्ध ब्यौरा लिखें।

6.29 उम्मीदवार को परीक्षा शुल्क से छूट के लिए कॉलम 16 में स्पष्ट रूप से हां (√) अथवा नहीं (X) लिखें।

6.30 उम्मीदवार आवेदन पत्र के साथ कॉलम 17 में स्वसत्यापित प्रमाणपत्रों की सूची लिखेगा।

6.31 कॉलम 18 में उम्मीदवार पहचान के दो चिन्ह दर्शायेगा।

6.32 उम्मीदवार कालम 19 में परीक्षा शुल्क का ब्यौरा (जैसा कि पैरा 5 में वर्णित है) और अन्य विवरण भरेगा।

6.33 उम्मीदवार अपने नमूना हस्ताक्षर और स्पष्ट बायें व दाहिने अंगूठे के निशान आवेदन पत्र में दिये गये स्थान पर दर्शायेगा।

6.34 उम्मीदवार अपना पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ संलग्न करेगा जो हल्की पृष्ठभूमि में लिया गया हो, एक माह से अधिक पुराना न हो, बिना टोपी या बिना रंगीन चश्मे के हो। फोटो पर कोई निशान न लगाया जाये, न हस्ताक्षर किये जायें। फोटो को साक्ष्यांकित न कराया जाये। फोटो को स्टैपल या पिन न किया जाये बल्कि सफाई से चिपकाया जाये। उम्मीदवार फोटो के नीचे दिये गये स्थान पर अलग हस्ताक्षर करें।

7. संलग्नक:

आवेदन—पत्र के साथ अभ्यर्थी के द्वारा केवल निम्नलिखित संलग्नक की स्व—अभिप्रमाणित प्रति नीचे दर्शाये गये अनुक्रम में संलग्न किए जाने चाहिए। ऐसे सभी प्रमाण—पत्र जो कि हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, हिन्दी या अंग्रेजी में अनुवादित कराये जाने चाहिए तथा मूल प्रमाण—पत्रों की स्व—अभिप्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न की जानी चाहिए।

(i) अनारक्षित एवं अपिव वर्ग के अभ्यर्थियों को पैरा 5 में दिए गए निर्देशानुसार परीक्षा शुल्क के रूप में ₹ 100/- का आई.पी.ओ./ बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना चाहिए तथा इसे आवेदन पत्र के सबसे ऊपर में संलग्न करें। **(ii)** आवेदन पत्र। **(iii)** कॉलम 15 में उल्लेखित अनुसार एसएससी/मैट्रिक योग्यता की स्व—सत्यापित प्रति संलग्न करें। **(iv)** 4.3 पैरा के अनुसार जन्म से संबंधित प्रमाण—पत्र की स्व—सत्यापित प्रति संलग्न करें। **(v)** अजा/अजजा/अपिव उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी जाति प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें। अजा/अजजा तथा ऐसे अभ्यर्थी जो एक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश से विस्थापित होकर दूसरे राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश में बस गये है, के लिये मसौदा प्रपत्र परिशिष्ट—I एवं अपिव के लिए परिशिष्ट—II में दिया गया है। अपिव उम्मीदवारों को वर्ष 2012-2013 का नान क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र देना आवश्यक है अन्यथा उन्हें सामान्य उम्मीदवार माना जायेगा बशर्ते वे सामान्य वर्ग के आयु सीमा के अंतर्गत होंगे। **(vi)** भूतपूर्व सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी से नियमित सेवा की अवधि आदि का उल्लेख करते हुए जारी प्रमाण—पत्र की स्व—सत्यापित प्रति। **(vii)** शारीरिक विकलांग (PH) कोटा के अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम अधिकारी (केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड) के द्वारा जारी निशक्त्ता प्रमाण—पत्र की स्व—सत्यापित प्रति संलग्न करें। **(viii)** नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण—पत्र मूल रूप में, यदि पहले से सेवारत हैं। **(ix)** मूल निवासी प्रमाण पत्र यदि अभ्यर्थी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लाहोल स्पिति, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का पांगी सब डिवीजन, अण्डमान निकोबार, लक्षदीप एवं जम्मू कश्मीर का निवासी है। **(x)** अल्पसंख्यक अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क में छूट के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ परिशिष्ट III में यथा उल्लेखित “स्वयं घोषणा” या राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। **(xi)** आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क में छूट के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ परिशिष्ट—IV में दर्शाए गए निर्धारित प्रपत्र में लैटर हेड पर आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

7.1 कृपया ध्यान दें:-

(i) उपरोक्त वर्णित संलग्नक के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों को सरासरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। **(ii)** सभी संलग्नक की एक स्वसत्यापित प्रति संलग्न की जानी है। फोटो प्रति स्पष्ट एवं पठनीय होनी चाहिये। **(iii)** आवेदन पत्र के साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति संलग्न न करें। **(iv)** कोई भी प्रमाण—पत्र, फोटोग्राफ इत्यादि जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न न हो, उसे बाद में अलग से प्राप्त होने पर आवेदन पत्र में शामिल नहीं किया जाएगा। **(v)** संलग्नकों का विवरण, आवेदन पत्र पर इसके लिये उपलब्ध जगह पर दिया जाये।

....**क्रमशः अगले पृष्ठ पर**

...क्रमशः पिछले पृष्ठ से		पश्चिम मध्य रेल	13.13 चिकित्सा वर्गीकरण के मानक:-
रोजगार सूचना सं. 02/2013 का पृष्ठ क्र. 2			
8.	भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारः भूतपूर्व सैनिक का अर्थ है (क) जिन्होंने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौ सेना, या वायुसेना में किसी भी रैंक में (युद्धक या गैर युद्धक) सेवा की है, लेकिन इसमें वे व्यक्ति शामिल नहीं हैं जिन्होंने रक्षा सुरक्षा कोर, सामान्य आरक्षित इंजीनियरिंग फोर्स, लोक सहायक सेना तथा अर्ध सैनिक बलों में काम किया है तथा वे पेंशन प्राप्त करने के उपरांत ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुए है या (ख) उन्हें ऐसे किसी चिकित्सा आधार पर सेवा से मुक्त किया गया है जो कि सैन्य सेवा में बाधक है या उसके नियंत्रण के बाहर की स्थिति हो गई हो तथा उन्हें सैन्य सेवा या अन्य अशक्तता पेंशन प्रदान की गई है या (ग) उन्हें ऐसी स्थापना में कटौती के कारण उसके स्वयं के अनुरोध पर कार्यमुक्त किया गया हो या (घ) संघ की सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत व्यक्ति जो सेवानिवृत्ति के उपरांत भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आ जाएंगें, उनकी विनिर्दिष्ट कार्यावधि के पूरा होने से एक वर्ष पहले पुनः रोजगार हेतु आवेदन करने तथा भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध सभी छूटों का लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन, उन्हें तब तक वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वे संघ की सशस्त्र सेनाओं में विनिर्दिष्ट सेवा अवधि को पूरा नहीं कर लेते हैं। ऐसे सभी सेनाकर्मी जो 14.12.2013 से पूर्व सैन्य सेवा से कार्यमुक्त होने वाले हैं, इस रोजगार सूचना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं। उन भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को, जो केन्द्र सरकार में वर्ग ‘घ’ में भूतपूर्व सैनिक कोटा के तहत पहले ही रोजगार प्राप्त कर चुके हैं ऐसे उम्मीदवारों को केवल आयु में छूट प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत आते हैं और भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत आवेदन किया है उन्हें लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) पास करने होंगें तभी उन्हें पैनल में शामिल किया जायेगा।		ए-2 सभी दृष्टि से शारीरिक रूप से स्वस्थ। दृष्टि मानक –दूर की दृष्टि: 6/9, बिना चश्में का 6/9, नज़दीक की दृष्टि का मानक 0.6, बिना चश्में का 0.6, वर्ण दृष्टि, द्विनेत्री दृष्टि, दृष्टि क्षेत्र तथा रात्रि दृष्टि अवश्य होनी चाहिये।
			बी-1 सभी दृष्टि से शारीरिक रूप से स्वस्थ। दृष्टि मानक –दूर की दृष्टि: 6/9, बिना चश्मे के व चश्में के साथ 6/12, +/-4 डी से अधिक पावर नहीं होना चाहिये। नज़दीक की दृष्टि का मानक 0.6, पढ़ते समय व नज़दीक का काम करते समय बिना चश्में के व चश्में के साथ 0.6, वर्ण दृष्टि, द्विनेत्री दृष्टि, दृष्टि क्षेत्र तथा रात्रि दृष्टि अवश्य होनी चाहिये।
			सी-1 सभी दृष्टि से शारीरिक रूप से स्वस्थ। दृष्टि मानक –दूर की दृष्टि: 6/12, बिना चश्में के व चश्में के साथ 6/18, नज़दीक की दृष्टि का मानक 0.6, पढ़ते समय व नज़दीक का काम करते समय चश्में के साथ या चश्में के बिना 0.6 होना आवश्यक है।
			सी-2 सभी दृष्टि से शारीरिक रूप से स्वस्थ। दृष्टि मानक दूर की दृष्टि–6/12, चश्में के साथ या चश्में के बिना निल, नज़दीक की दृष्टि का मानक, पढ़ते समय व नज़दीक का कार्य करते समय चश्में के साथ या चश्में के बिना 0.6 होना आवश्यक है।
उपर्युक्त विवरण तथा मानक संकेतिक हैं, विवरणात्मक नहीं। भूतपूर्व सैनिक तथा शारीरिक रूप से विकलांगों के लिये अन्य मानक लागू हैं। अन्य आवश्यक परीक्षण भी शामिल/लागू होंगे। जो अभ्यर्थी निर्धारित चिकित्सा मानक पूर्ण नहीं करते है कृपया आवेदन न करें।			
13.14	निःशुल्क रेल यात्रा पास : शारीरिक दक्षता परीक्षा/लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले केवल अजा/अजजा समुदायों के उम्मीदवारों को उनके नज़दीकी रेलवे स्टेशन से परीक्षा के स्थान तक का और वापसी का निःशुल्क द्वितीय श्रेणी रेलवे पास जारी किया जाएगा। अन्य सभी अभ्यर्थी यात्रा एवं अन्य खर्च स्वयं वहन करेंगे।		
14.	सामान्य अनुदेश:-		
14.1	रिक्तियों की संख्या संभावित है इन्हें घटाया या बढ़ाया जा सकता है या इन्हें समाप्त भी किया जा सकता है। इस वजह से यदि किसी अभ्यर्थी को कोई क्षति या नुकसान होता है तो परीक्षा शुल्क की वापसी नहीं की जायेगी।		
14.2	महिला उम्मीदवार भी पात्र हैं। लेकिन वे नोट कर लें कि ड्यूटियों की प्रकृति कठिन है तथा बाहरी क्षेत्र में ड्यूटियाँ करनी पड़ सकती है।		
14.3	चयनित को जहाँ कहीं भी प्रशिक्षण दिया जाता है, उस प्रशिक्षण को अभ्यर्थी सफलता पूर्वक प्राप्त करने के उपरांत, पश्चिम मध्य रेल में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है।		
14.4	सभी अभ्यर्थी का चाहे वे किसी भी समुदाय के हों, अनारक्षित रिक्तियों (सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित आयु वर्ग) हेतु विचार किया जाएगा। लेकिन समुदाय विशेष के कोटे के तहत रिक्तियों के लिए केवल उस समुदाय विशेष के उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाएगा तथा अभ्यर्थी के समुदाय में बाद में किसी भी तरह के परिवर्तन पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।		
14.5	यदि कोई अभ्यर्थी किसी समुदाय विशेष के अंतर्गत भर्ती चाहता है तो उसे उस कालम में सही का निशान लगाना चाहिये। उनका आवेदन उस समुदाय के उपयुक्त प्रोफार्मा में सत्यापित प्रमाण पत्र के बिना होने पर अस्वीकृत कर दिया जायेगा।		
14.6	पद के लिए आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे पात्रता मानदण्ड पूरा करते हों। यदि मानदण्ड पूर्ण नहीं करता है तो रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेल उसका आवेदन किसी भी चरण में निरस्त कर देगा। यदि भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होनै के बाद भी उसे गलत पाया जाता है तो सेवा से अविलम्ब निष्कासित कर दिया जाएगा।		
14.7	यदि इस रोजगार अधिसूचना के नियमों एवं शर्तों में कोई परिवर्तन होता है तो तत्समय मान्य नियम लागू होंगे।		
14.8	शारीरिक दक्षता जाँच/लिखित परीक्षा के लिये रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेल द्वारा बुलावा पत्र डाक द्वारा (बिजनेस पोस्ट) से भेजे जायेंगे। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/पमरे बुलावा—पत्र के डाक द्वारा देरी से प्राप्त होने या गलत पते पर पहुँचने के लिये जिम्मेदार नहीं होगा। यदि उम्मीदवार के पते में किसी तरह का परिवर्तन होता है तो अभ्यर्थी को चाहिये कि वे अपने स्वयं के हित में संबंधित डाकघर से बुलावा—पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।		
14.9	जिन अभ्यर्थीयों को किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में भाग लेने से वंचित कर दिया गया हो ऐसे उम्मीदवारों को तब तक परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि उनका अनुपयुक्त घोषित किये जाने का समय आवेदन प्राप्त हो की अन्तिम तिथि तक समाप्त नहीं हो जाता। ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।		
14.10	शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा एवं लिखित परीक्षा आदि के लिये दिनांक एवं परीक्षा स्थल का निर्धारण रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेल द्वारा किया जायेगा एवं इनका उल्लेख अभ्यर्थियों को भेजे जाने वाले बुलावा पत्रों में किया जायेगा।		
14.11	सभी पुरुष उम्मीदवारों को रेलवे इकाई या किसी अन्य इकाई में समय—समय पर निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप, सक्रिय प्रादेशिक सेना में सेवा प्रदान करनी होगी।		
14.12	सभी चयनित उम्मीदवारों को जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ विशिष्ट कालावधि के लिये स्टाइपेन्ड (वृत्तभोगी) के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा जमानत धनराशि जमा करके क्षतिपूर्ति बंधक या करार को निष्पादित करना आवश्यक हो सकता है।		
14.13	उम्मीदवारों का चयन उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर किया जायेगा। सभी उम्मीदवारों को समय समय पर लागू नियमों/आदेशों के अनुसार उच्चतम वेतनमानों में पदोन्नति के लिये यथासमय विचार किया जायेगा।		
14.14	चयनित उम्मीदवारों की तैनाती यथोचित समय पर भारतीय रेलवे की आवश्यकता अनुसार की जायेगी। तैनाती का विशेष स्थान या विभाग या मंडल का आश्वासन नहीं दिया जा सकेगा।		
14.15	रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ प.म.रे. चूकवश हुई किसी तरह की अनजानी त्रुटि या गलती के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।		
15.	कदाचार का दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई:		
15.1	उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय ऐसा कोई विवरण न दें जो झूठा हो। उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे कांट—छांट का कोई प्रयास न करें या उनके द्वारा प्रस्तुत किसी दस्तावेज या इसकी सत्यापित/प्रमाणित प्रति में किसी तरह की छेड़छाड़ न करें। यदि कोई कमी या त्रुटि हो तो ऐसी त्रुटि से संबंधित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदन—पत्र भरते समय कोई तथ्यात्मक जानकारी न छिपाएँ।		
15.2	यदि कोई उम्मीदवार रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ या पूर्व में किसी रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा निम्नलिखित में दोषी पाया गया हो:— (i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन हासिल करना या (ii) छद्मरूपेण या (iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्मरूपेण प्राप्त करना या (iv) बनावटी/छेड़छाड़ किए गए दस्तावेज प्रस्तुत करना या (v) गलत या झूठी सूचनाएं देना या महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना या (vi) चयन हेतु अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में कोई भी अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाना जाना या (vii) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करना या मोबाइल फोन, कम्प्यूलेटर या कोई अन्य इसी तरह का उपकरण साथ में रखना, ले जाना या प्रयोग करना या (viii) उत्तर पुस्तिका में अमद्र/अश्लील भाषा सहित असंगत बातें लिखना या (ix) परीक्षा हॉल में किसी भी अन्य तरह की शरारत/गड़बड़ी करना या (x) परीक्षा हॉल से उत्तर पुस्तिका बाहर ले जाना या (xi) अलग समुदाय, अलग फोटो या अलग दस्तावेजों के साथ एक से अधिक आवेदन पत्र भेजना या (xii) परीक्षा के आयोजन के लिए रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेल द्वारा आयोजित कर्मचारियों को परेशान करना या कोई शारीरिक नुकसान पहुँचाना। उनके विरुद्ध नियमों/कानूनों के संगत प्रावधानों के तहत अपराधिक कार्रवाई किए जाने के अलावा निम्न कार्रवाई की जा सकती है:— (क) रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेल द्वारा उस पद के चयन के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, जिसके लिए वे उम्मीदवार हैं या (ख) किसी भी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा या चयन से स्थाई रूप में या रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेल द्वारा निर्धारित अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। (ग) यदि वह पहले से सेवारत है तो उपयुक्त नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।		
16.	पते में परिवर्तन:- यदि उम्मीदवार के पते में किसी तरह का परिवर्तन होता है तो अभ्यर्थी को अपने स्वयं के हित में चाहिये कि संबंधित डाकघर से बुलावा—पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके लिये रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेल डाक में देरी या गलत पते पर बुलावा पत्र के वितरण के लिये जवाबदार नहीं होगा।		
17.	कानूनी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार:- किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में केवल केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर का अधिकार क्षेत्र होगा।		
18.	विविध:-		
18.1	सम्पूर्ण रोजगार सूचना समस्त अनुलग्नक के साथ पश्चिम मध्य रेल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी अनुलग्नक के साथ आवेदन का प्रिन्ट लेकर उसका उपयोग आरआरसी को आवेदन भेजने के लिए कर सकता है।		
18.2	किसी भी स्तर पर अतिरिक्त शारीरिक दक्षता/लिखित परीक्षा आयोजित करने का अधिकार रे.भ.प्रकोष्ठ के पास सुरक्षित है। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया अथवा कुछ भाग निरस्त करने का अधिकार भी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के पास सुरक्षित है।		
18.3	यदि आवश्यक हो, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की पमरे पर कहीं भी पदस्थापना की जा सकती है।		
18.4	किसी भी प्रकार के मतभेद की स्थिति में रोजगार सूचना का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।		
19.	रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ का फैसला अन्तिम होगा: अभ्यर्थी की पात्रता, आवेदन को स्वीकारने या नामंजूर करने, निःशुल्क रेल पास जारी किए जाने, झूठी सूचना के लिए दण्ड, चयन के तरीके, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केन्द्र के आबंटन, चयनित उम्मीदवारों को पद/स्थान के आबंटन तथा भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों में रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेल का निर्णय अन्तिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी तरह की पूछताछ या पत्र—व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा।		
20.	चेतावनी:- वह अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में अपनी उम्मीदवारी सुनिश्चित करने या अन्य सुविधा प्राप्त करने के लिये जिसमें मुफ्त यात्रा सुविधा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, वह न केवल इस परीक्षा में उम्मीदवारी के लिये अयोग्य घोषित किये जायेंगे वरन आने वाली सभी परीक्षाओं के लिये जो किसी भी रेलवे/रेलवे भर्ती बोर्ड/अन्य भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा संचालित किये जाते हैं, उनके लिए पूरे भारत वर्ष के लिये आजीवन अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।		
21.	अति महत्वपूर्ण: रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेल ने अपनी ओर से कार्रवाई के लिए कोई एजेन्ट या कॉर्चिंग सेंटर नियुक्त नहीं किया है। उम्मीदवारों को ऐसे किसी व्यक्ति/एजेंसियों के किसी दावे के प्रति सचेत किया जाता है। लिखित परीक्षा के लिए ओएमआर उत्तरपत्रक का प्रयोग किया जाएगा तथा कम्प्यूटर से इसका मूल्यांकन किया जाएगा, उम्मीदवारों का चयन पूर्णतः मैरिट के आधार पर किया जाएगा। बेईमान तत्वों से कृपया सावधान रहें और उनके बहकाव में न जाएँ। ऐसे तत्वों की यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है तो इस तरह की शिकायतें अध्यक्ष/आरआरसी, प.म.रे. या वरिष्ठ महाबन्धक पश्चिम मध्य रेल की जानकारी में लाई जा सकती है।		
अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर (मध्य प्रदेश) - 482001			
उम्मीदवारों को जाति प्रमाण—पत्र उपर्युक्त प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त कर लेना चाहिए तथा सत्यापन के समय मूल प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर वे अयोग्य ठहराये जा सकते हैं। विवरणिका के अध्याय 13 के अनुसार यह अनिवार्य है (भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित)। चूँकि बड़ी संख्या में उम्मीदवार उपयुक्त प्राधिकारी से भिन्न अधिकारी द्वारा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे अनुदेशों का अनुपालन कड़ाई से करें।			
...क्रमशः अगले पृष्ठ पर			

Railway Recruitment Cell, West Central Railway, Jabalpur

For Office Use

APPLICATION FORM

Read the guidelines carefully, before you start filling up the Application form

Employment Notice No. 02/2013

01. Name of the Candidate

02. Father's/Husband's Name

03. Nearest Railway Station

04. Address for Correspondence

05. Sex

06. Nationality

07. Religion
(Indicate Code)

08. Marital Status

State

PIN

Contact No. (Mobile No. / Land Line No. with STD Code:

Please paste recent passport size Photograph
(Not older than one month)
& Sign in the box below

09. Date of Birth

Date

D

D

Month

M

M

Year

Y

Y

Y

Y

10. Persons with Disabilities
(Copy to be enclosed)

OH

VH

HH

11. Community
(Please Tick ✓)

UR

OBC

SC

ST

12. Whether Seeks Age Relaxation
(Yes/No)

13. If Yes, Indicate code

14. Serving Employees
(Yes/No)

15. Educational Qualification TICK(✓) the appropriate column

SSC/ Matric

HSC/ SSC

ITI

Diploma

NonTechnical Graduate

Post Graduate

Technical Graduate

Post Graduate

16. Fee Exemption

17. List of certificate enclosed.

18. Personal Marks of Identification

1. _____

2. _____

19. Details of IPO/DD No.

Date:-

Name of the Post Office/Bank & Place

DECLARATION BY THE CANDIDATE .

(Please write the following paragraph in the space given below in your own running handwriting)
I hereby declare that all the particulars given above by me are true complete and correct to the best of my knowledge and belief. I am aware that in the event of any information furnished by me found false/incorrect at any stage, my candidature will be rejected summarily and I am also liable for criminal action. I will abide by instructions given in the notification.

Place :-

Date :-

LEFT HAND Thumb Impression
(Must be clear & not smudged)

Signature of the Candidate
(Do not sign in CAPITAL Letters)

ANNEXURE - I

PROFORMA FOR CASTE CERTIFICATE FOR SC/ST CANDIDATES

(Form of certificate to be produced by a candidate belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes in support of Claim)
This is to certify that Shri/Smt./Kum* _____ Son/Daughter* of _____ of village/town * _____ in District /Division* _____ of State/Union Territory* _____ belongs to the _____ Caste/Tribe* which is recognized as a Scheduled Castes/Scheduled Tribe* under

● The Constitution (Scheduled Castes) order, 1950. ● The Constitution (Scheduled Tribes) order, 1950. ● The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) order, 1951. ● The Constitution (Scheduled Tribes)(Union Territories) order, 1951 (as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists Modification) Order, 1956 the Bombay Re-Organisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas Re-Organisation Act, 1971, and the Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976. ● The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956. ● The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1956. ● The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959. ● The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962. ● The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962. ● The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964. ● The Constitution Scheduled Tribes (Uttar Pradesh) Order, 1967. ● The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968. ● The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968. ● The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970. ● The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978. ● The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.

2. Application in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes Persons who have migrated from One State/Union Territory.

This certificate is issued on the basis of Scheduled Castes/Scheduled Tribes Certificates issued to that Shri/Smt.* _____ Father/Mother of Shri/Smt./Kum.* _____ in District/Division* _____ of State/Union Territory* who belongs to _____ Caste/Tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* in State/Union Territory* _____ issued by the _____ (Name of prescribed authority) vide their No. _____ dated _____.

3. Shri/Smt./Kum* _____ and/or his/her family ordinarily reside (s) in village/town* _____ of _____ District/Division of State/Union Territory of _____

Place

State/Union Territory

Signature _____

Date

Designation (with seal of office) _____

(*) Please delete the words which are not applicable (*) Please quote specific Presidential order (*) Delete the Paragraph which is not applicable.

NOTE: The term “Ordinarily resides” used will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

List of Authorities competent to issue certificates of verification:

(1) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Deputy Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/City Magistrate/Sub Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner (Not below the rank of Ist Class Stipendiary Magistrate). (2) Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate. (3) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar. (4) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family Ordinarily resides. (5) Administrator/ Secretary to Administrator/Development Officer (Lakshadweep Islands).

ANNEXURE - II

Form of Certificate to be produced by other Backward Classes applying for Appointment to Post under the Government of India.

This is to certify that _____ Son/Daughter of _____ village _____ district/division _____ in _____ state belongs to the _____ community, which is recognised as a Backward Class under:

- Resolution No. 12011/68/93-BCC© dated the 10th September 1993, published in the Gazette of India extraordinary part 1, Section 1, No. 186 dated the 13th September 1993.
- Resolution No. 12011/9/94-BCC, dated 19th October 1994, published in the Gazette of India Extraordinary part 1, section 1, No. 163, dated the 20th October 1994.
- Resolution No. 12011/7/95-BCC, dated 24th May 1995 published in Gazette of India extraordinary part 1, section 1, No. 88, dated the 25th May 1995.
- Resolution No. 12011/44/96-BCC, dated the 6th December 1996 published in Gazette of India extraordinary part 1, section 1, No. 210, dated the 11th December 1996.
- Resolution No. 12011/68/93-BCC, published in Gazette of India extraordinary No. 129, dated the 8th July 1997.
- Resolution No. 12011/12/96-BCC, published in Gazette of India extraordinary No. 164, dated the 1st September 1997.
- Resolution No. 12011/99/94-BCC, published in Gazette of India extraordinary No. 236, dated the 11th December 1997.
- Resolution No. 12011/13/97-BCC, published in Gazette of India extraordinary No. 239, dated the 3rd December 1997.
- Resolution No. 12011/12/96-BCC, published in Gazette of India extraordinary No. 166, dated the 3rd August 1998.
- Resolution No. 12011/68/93-BCC, published in Gazette of India extraordinary No. 171, dated the 6th August 1998.
- Resolution No. 12011/68/98-BCC, published in Gazette of India extraordinary No. 241, dated the 27th October 1999.
- Resolution No. 12011/88/98-BCC, published in Gazette of India extraordinary No. 270, dated the 6th December 1999.
- Resolution No. 12011/36/99-BCC, published in Gazette of India extraordinary No. 71, dated the 4th April 2000.

Shri/Smt./Kum. _____ and/or his/her family ordinarily reside(s) in the _____ District/Division of the _____ State. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (**Creamy Layer**) mentioned in column 3 of the Schedule of the Government of India. Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93 Estt. (SCT) dated 08.09.1993 and its subsequent revision through O. M. No. 36033/3/2004 Estt.(Res) dated 09.03.2004.

Date

District Magistrate/
Deputy Commissioner etc.

Seal

NB: (a) The term “Ordinarily” used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950. (b) The Authorities competent to issue caste certificate are indicated below: (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Asstt. Commissioner (not below the rank of 1st class Stipendiary Magistrate). (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate. (iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar and (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family resides.

ANNEXURE - III

SELF DECLARATION OF MINORITY CANDIDATES FOR WAIVER OF EXAMINATION FEE FOR RRC EXAMINATION

(Proforma for declaration to be submitted by minority candidates along with the application for the post against Employment Notice No. _____)

"I _____ Son/Daughter of Sh. _____ resident of village/town/city _____ district _____ state _____ hereby declare that I belong to the _____ (Indicate minority community notified by Central Govt. i.e. Muslims/ Christians/Sikhs/ Buddhist/Parsis).

Date:

Signature of Candidate

Place:

Name of Candidate

Note: - At the time of document verification such candidates claiming waiver of examination fee will be required to furnish 'minority community declaration' affidavit on non judicial stamp paper that he/she belongs to any of the minority community notified by Central Govt. (i.e. Muslims/Christians/Sikhs/ Buddhist/Parsis).

ANNEXURE - IV

RAILWAY RECRUITMENT CELL
INCOME CERTIFICATE FOR WAIVER OF EXAMINATION FEES FOR RRC EXAMINATIONS

1. Name of Candidate

:

2. Father's Name

:

3. Age

:

4. Residential Address

:

5. Annual Family Income
(in words & figure)

:

6. Date of Issue

:

7. Signature

:

8. Stamp of issuing authority

:

(Name)

NB: Economically backward classes mean the candidates whose annual family income is less than ₹ 50,000/- per annum. The following authorities are authorised to issue income certificates for the purpose of identifying economically backward classes.

(1) District Magistrate or any revenue officer upto the level of Tehsildar. (2) Sitting Member of Parliament of Lok Sabha for the person of their own constituency. (3) B.P.L. card or any other certificate issued by Central Govt. under a recognized poverty alleviation programme or Izzat MST issued by Railways. (4) Union Ministers may also recommend to Chairman/RRCs for any person from anywhere in the country. (5) Sitting Member of Parliament of Rajya Sabha for the person of the district in which these MPs normally reside.

Serving Customers with a Smile